न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:— 139/2022 (2022/382)

दर्ज तिथि:— 23.11.2022

1. मफीदेवी पत्नी आम्बाराम
   जाति कलबी निवासी प्रेमनगर, सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

......................वादीनी

बनाम

1. हाकिम खां पुत्र गुल मोहम्मद
2. गुल मोहम्मद पुत्र खमीशा
   जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गुड़ामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

................असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुडामालानी

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता:— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगण :— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:— 13.03.2024

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीनी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 1783/1.1088 हैक्टेयर वाके गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीनी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीनी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 51/176 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 37/176 हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीनी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीनी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। बावजूद विधिवत तामील अनुस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वादी की तरफ से साक्ष्य प्राप्त की जाकर अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार गुढामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुढामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू.अ. / 2024 / 221 दिनांक 23.02.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई।

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1783 / 1.1088 हैक्टेयर वाके गुडामालानी तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीनी का 1 / 2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 51 / 176 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 37 / 176 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादीनी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह— काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखता है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

द्वितीय— सुविधा का संतुलनः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में वाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। वाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीनी अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1783 / 1.1088 हैक्टेयर वाके गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
मफीदेवी पत्नी आम्बाराम जाति कलबी सा. प्रेमनगर, सिंधासवा हरनियान खातेदार	पूर्ण	1783	0.5544 हैक्टेयर	बा.अ.
किता 01 रकबा 0.5544 हैक्टेयर				
गुल मोहम्मद पुत्र खमीशा जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	3213 / 5544	1783	0.5544	बा.अ.
हाकिम खां पुत्र गुल मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	2331 / 5544			
किता 01 रकबा 0.5544 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को [illegible] स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी के [illegible] खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे ना [illegible] किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करे तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

गफीदेवी बनाम हाकिम खां
139/2022 (2022/382)
निर्णय दिनांक:-13.03.2024

यह निर्णय आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः— 23.11.2022

वाद संख्याः— 139/2022 (2022/382)

1. मफीदेवी पत्नी आम्बाराम
जाति कलबी निवासी प्रेमनगर, सिंधासवा हरनियान तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर ....वादीनी

बनाम

1. हाकिम खां पुत्र गुल मोहम्मद
2. गुल मोहम्मद पुत्र खमीशा
जाति मुसलमान कुम्हार निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर ....असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार गुडामालानी ....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः— श्री डालूराम चौधरी
प्रतिवादीगण :— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय तिथिः— 13.03.2024

दावा वादी अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 1783/1.1088 हैक्टेयर वाके गुडामालानी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीनी डिक्री किया जाता है। फरीकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग से खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.03.09 16:25:55 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
मफीदेवी पत्नी आम्बाराम जाति कलबी सा. प्रेमनगर, सिंधासवा हरनियान खातेदार	पूर्ण	1783	0.5544 हैक्टेयर	बा.अ.

किता 01 रकबा 0.5544 हैक्टेयर				
गुल मोहम्मद पुत्र खमीशा जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	3213 / 5544	1783	0.5544	बा.अ.
हाकिम खां पुत्र गुल मोहम्मद जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	2331 / 5544			
किता 01 रकबा 0.5544 हैक्टेयर				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीनी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 13.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.10.09 16:29:55 IST
Reason: SelfAttested